रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022025-260695
CG-DL-E-01022025-260695

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]	नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 2025/माघ 12, 1946
No. 75]	NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 2025/MAGHA 12, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2025

सं. 07/2025-सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 108(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियमावली, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) संशोधन नियम, 2025 है।

   (2) ये 02 फरवरी, 2025 को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियमावली, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), के नियम 3 में, उपनियम 1 में, खंड (ट) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

'टक. "त्रिमास" से एक कलैंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले किन्ही तीन क्रमवर्ती कलैंडर मास की अवधि अभिप्रेत है;'।

3. मूल नियमों के, नियम 6 के, उपनियम (2) में', दोनों स्थानों पर आने वाले शब्द "मासिक" और "माह" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "त्रैमासिक" और " त्रिमास" शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल नियमों के, नियम 7 के,–

   (i) उपनियम (1) में, 'मासिक' शब्द के स्थान पर 'त्रैमासिक' शब्द रखा जाएगा।

   (ii) उपनियम (3) में, '6 माह ' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रखे जायेंगे।

5. मूल नियमों के, नियम 8 के, उपनियम (1) में, 'मासिक' शब्द के स्थान पर 'त्रैमासिक' शब्द रखा जाएगा।

6. मूल नियमों के, नियम 9 के, उपनियम (1) में, 'मासिक' शब्द के स्थान पर 'त्रैमासिक' शब्द में रखा जाएगा।

7. मूल नियमों के, नियम 10 के, –

   (i) उपनियम (1), खंड (ii) में, '6 माह ' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रखे जायेंगे।

   (ii) उपनियम (2) में, 'मासिक' शब्द के स्थान पर 'त्रैमासिक' शब्द रखा जाएगा।

   (iii) उपनियम (3) में, 'मासिक' शब्द के स्थान पर 'त्रैमासिक' शब्द रखा जाएगा।

   (iv) उपनियम (5) में, 'मासिक' शब्द के स्थान पर 'त्रैमासिक' शब्द रखा जाएगा।

8. मूल नियमों के, प्रपत्र आईजीसीआर-3 में, 'मासिक' शब्द के स्थान पर 'त्रैमासिक' शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी -530524/2/2025-O/o निदेशक (सीमा शुल्क)- सीबीईसी]

अनंत राधाकृष्णन, निदेशक (सीमा शुल्क)

टिप्पण:- मूल नियम सं. 74/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 09 सितंबर, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 692 (अ), तारीख 10 सितंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2025

No. 07/2025- Customs (N.T.)

G.S.R. 108(E).—In exercise of the powers conferred by section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022, namely :-

1. **Short title and commencement.–**(1) These rules may be called the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Amendment Rules, 2025

   (2) They shall come into force on the 2nd day of February, 2025.

2. In the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3, in sub-rule (1), after clause k, the following clause shall be inserted, namely:-

'*ka*. "quarter" means a period comprising any three consecutive calendar months ending on the last day of March, June, September or December of a calendar year;'.

3. In the principal rules, in rule 6, in sub-rule (2), for the words "monthly" and "month" occurring at both places, the words "quarterly" and "quarter" shall respectively be substituted.

4. In the principal rules, in rule 7, -

   (i) in sub-rule (1), for the word "monthly", the word "quarterly" shall be substituted;

   (ii) in sub-rule (3), for the words "six months", the words "one year" shall be substituted.

5. In the principal rules, in rule 8, in sub-rule (1), for the word "monthly", the word "quarterly" shall be substituted.

6. In the principal rules, in rule 9, in sub-rule (1), for the word "monthly", the word "quarterly" shall be substituted.

7. In the principal rules, in rule 10, -

   (i) in sub-rule (1), in clause (ii), for the words "six months", the words "one year" shall be substituted;

   (ii) in sub-rule (2), for the word "monthly", the word "quarterly" shall be substituted;

   (iii) in sub-rule (3), for the word "monthly", the word "quarterly" shall be substituted;

   (iv) in sub-rule (5), for the word "monthly", the word "quarterly" shall be substituted.

8. In the principal rules, in Form IGCR-3, for the word "MONTHLY", the word "QUARTERLY" shall be substituted.

[F. No. CBIC-530524/2/2025-O/o Dir(Customs)-CBEC]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Director (Customs)

Note: - The principal rules No.74/2022- Customs (N.T.), dated the 09th September, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.692 (E), dated the 10th September, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA